

कर्नाटक में हजािब पर प्रतिबंध मामला

प्रलिम्सि के लिय:

सर्वोच्च न्यायालय, हजाब, मौलिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मामले।

मेन्स के लिये:

मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मामले।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हजिब प्रतिबंध मामले में एक विभाजित निर्णय दिया।

- विभाजित निर्णय की स्थिति में मामले की सुनवाई एक बड़ी बेंच द्वारा की जाती है।
- जिस बड़ी बेंच को विभाजित निर्णय का मामला हस्तांतरित किया जाता है, वह उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ हो सकती है, अथवा इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी अपील की जा सकती है।
- मार्च 2022 में उच्च न्यायालय ने कर्नाटक में मुस्लिम छात्रों के एक वर्ग द्वा<mark>रा क</mark>क्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।

A timeline of the legal battle

The row, which erupted when a Udupi college barred hijab-clad students from entering classrooms, soon garnered national attention and reached the SC.

2021: Row begins

JULY 1: Govt Pre-University (PU) college in Udupi issues guidelines for the academic year, prescribes a uniform code

DEC 28: Six students claim that, since Sept, they are not being allowed entry into classrooms,

citing hijabs

2022: Matter reaches Karnataka HC

JAN 31: Students move **HC** against college's guidelines

FEB 5: State issues an order allowing only

prescribed uniforms in govt colleges

FEB 10:

HC passes interim order, prohibiting students from wearing religious clothing till the matter is decided

OCT 13: SC delivers split verdict, directs placing appeals against HC order before CJI for constitution of larger bench

Hillian

SEPT 22: SC reserves its order on the pleas

Students move | MARCH 15: Supreme Court

JAN 31: Students move HC against college's guidelines

mmmen

HC rules hijab is not an intrinsic part of Islam, upholds the state govt's order

FEB 17: Fresh plea in HC seeks nod to wear hijabs in educational institutes on Fridays and during Ramzan

WHAT THE BJP SAYS

At a time when there is a movement against hijab and burga across the globe and the freedom of women is a talking point, the K'taka govt expected a better judgment...

BC NAGESH, K'taka education minister

WHAT THE OPPN SAYS

After banning the hijab, around 17,000 first generation students were out of schools. The government has succeeded in its plans to not educate these girls.

he Vision BK HARIPRASAD, Cong LoP in K'taka

नरिणय की प्रमुख बातें:

Divergent views

A look at what was emphasised by the two verdicts on the hijab ban

DELIVERED BY JUSTICE HEMANT GUPTA

"Secularism is applicable to all citizens, therefore, permitting one ... community to wear their religious symbols would be antithesis to secularism."

SCHOOL AND RELIGION: Religion has no meaning in a secular school run by the state. "Students are free to profess their religion and carry out religious activities other than when they're attending a classroom."

UNIFORM, EQUALITY:

"... Uniform fosters a sense of 'equality' amongst students-instills a sense of oneness, diminishes individual differences..."

DELIVERED BY JUSTICE SUDHANSHU DHULIA

"Wearing hijab should be simply a matter of choice. It may or may not be a matter of essential religious practice, but it still is, a matter of conscience, belief, expression."

CLASSROOM IS DIFFERENT: Though discipline is required in educational institutions, they can't be put on par with a jail or a military camp, as was cited by HC while describing schools as "qualified public spaces"

TICKET TO EDUCATION: "If it

is worn as a matter of her choice, as it may be the only way her conservative family will permit her to go to school... her hijab is her ticket to education"

HI

हजाब के मुद्दे पर न्यायालयों के अब तक के नरिणय:

- वर्ष 2015 में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी दो याचिकाएँ दायर की गई थीं, इनमें अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश के लिये ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी, जिसमें सलवार/पायजामा" के साथ चप्पल पहनने की अनुमति थी एवं आधी आस्तीन वाले हल्के कपड़े, जिनमें बड़े बटन, बैज, फूल आदि न हों", ही पहनने का प्रावधान था।
 - केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के तर्क को स्वीकार करते हुए कि यह नियम केवल यह सुनिश्चित करने के लिये था कि उम्मीदवार कपड़ों के भीतर वस्तुओं को छुपाकर अनुचित तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केरल उच्च न्यायालय नेCBSE को उन छात्रों की जाँच हेतु अतिरिक्त उपाय करने का निर्देश दिया जो अपने धार्मिक रिवाज़ के अनुसार पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, लेकिन जो इरेस कोड के विपरीत है।
- आमना बिट बशीर बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (2016) मामले में केरल उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की अधिक बारीकी से जाँच की। इस मामले में न्यायालय ने माना कि हिजाब पहनने की प्रथा एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन सीबीएसई नियम को रदद नहीं किया गया।
 - ॰ न्यायालय ने एक बार फरि 2015 में "अतरिक्ति उपायों" और सुरक्षा उपायों की अनुमति दी।
- हालाँकि स्कूल द्वारा निर्धारित ड्रेस के मुद्दे पर एक और बेंच ने **फार्तिमा तसनीम बनाम केरल राज्य (2018) मामले में** अलग तरीके से फैसला सुनाया।
 - केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्त्ता के व्यक्तिगत अधिकारों पर पराथमिकता दी जाएगी।

संवधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा:

- संविधान के भाग-3 (मौलिक अधिकार) का अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 25 (1) 'अंतः करण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार'
 की गारंटी देता है।
- यह एक ऐसा अधिकार है जो नकारात्मक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसका अर्थ है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस स्वतंत्रता का उपयोग करने में कोई हस्तक्षेप या बाधा न हो।
 - ॰ हालाँकि सभी <u>मौलिक अधिकारों</u> की तरह राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, <mark>नैतकिता,</mark> स्वास्थ्<mark>य और अन्य</mark> राज्य हितों के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है।
- अनुच्छेद 26 सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मि<mark>क मामलों का</mark> प्रबंध<mark>न क</mark>रने की स्वतंत्रता की व्याख्या करता है।
- अनुच्छेद 27 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या व्यवहार के लिये किसी भी कर का भुगतान करने के लिये मजबूर नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता की व्याख्या करता है।

आगे की राह

- मौजूदा राजनीतिक माहौल में कर्नाटक सरकार द्वारा "एकता, समानता एवं सार्वजनिक व्यवस्था के हित में" या तो एक निर्धारित वर्दी या किसी
 भी पोशाक को अनिवार्य करने के निर्णय को शैक्षिक संस्थानों में धर्मनिरिपेक्ष मानदंडों, समानता और अनुशासन को लागू करने की आड़ में
 एक बहसंख्यकवादी दावे के रूप में भी देखा गया।
- एक निर्णय जो शिक्षा के लिये इस गैर-समावेशी दृष्टिकोण को वैध बनाता है और एक नीति जो मुस्लिम महिलाओं को अवसर से वंचित कर सकती है, देश के हित में नहीं होगी।
- उचित गुंज़ाइश तब तक होनी चाहिये जब तक कि हिजाब या कोई भी <mark>पहना</mark>वा, धार्मिक या अन्य, यूनिफार्म से अलग नहीं होता है।

सरोत: द हदि

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/karnataka-hijab-ban-case